भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं॰ 1478

दिनांक 24.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

खुले में शौच से मुक्त राज्य

1478. श्री श्वेत मलिकः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार कितने प्रतिशत घरों में शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) देश में गोवा सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार कितने घर खुले में शौच से मुक्त हैं और इनका प्रतिशत कितना–कितना है; और

(ग) उन्हें शौचालय सुविधाएं और ठोस तथा तरल अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) देश में शौचालयों की सुविधा वाले ग्रामीण परिवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या तथा प्रतिशत 20.12.2018 की स्थिति के अनुसार **अनुलग्नक-1** पर दिया गया है।

(ख) देश में उन ग्रामीण परिवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या तथा उनका प्रतिशत **अनुलग्नक-2** पर है जो 20.12.2018 तक खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) हैं।

(ग) सरकार ने देश के सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध कराकर दिनांक 02 अक्टूबर, 2019 तक समग्र स्वच्छता कवरेज की प्राप्ति के लक्ष्य के साथ दिनांक 02 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (एसबीएम (जी)) की शुरूआत की थी। स्कीम में व्यवहार में परिवर्तन तथा शौचालयों के उपयोग पर बल दिया जाता है। कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों और गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) के परिवारों की चिन्हित श्रेणियों (सभी अ.जा./अ.ज.जा., लघु और सीमांत किसानों, अधिवास वाले भूमिहीन मजदूरों, दिव्यांगजन और महिला प्रमुख परिवारों) को शौचालयों के निर्माण तथा उनके प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु, 12,000 रु. की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन, एसबीएम (जी) के तहत कवर किए हुए हैं और इस घटक के अंतर्गत कंपोस्ट पिट, वर्मी कंपोस्टिंग, बायोगैस संयंत्र, कम लागत वाली डैनेज, सोकेज चैनल/पिट, अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग और घरेलू कचरे का संचयन, पृथक्कीकरण तथा निपटान की प्रणाली और मासिक धर्म संबंधी व्यक्तिगत साफ-सफाई प्रबंधन आदि जैसी गतिविधियां चलाई जा सकती हैं। 150/300/500 और 500 से अधिक परिवार वाली ग्राम पंचायतों के लिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन गतिविधियों हेतु क्रमशः 7/12/15/20 लाख तक की निधियां उपलब्ध हैं।

******

अनुलग्नक-1

दिनांक 24.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1478 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित विवरण

दिनांक 20.12.2018 तक शौचालय की सुविधा वाले ग्रामीण परिवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या और प्रतिशत

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शौचालय की सुविधा वाले ग्रामीण परिवार	शौचालय की सुविधा वाले ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	37359	100.00
2	आंध्र प्रदेश	7104049	100.00
3	अरुणाचल प्रदेश	184901	100.00
4	असम	5199922	99.21
5	बिहार	14437610	92.13
6	चंडीगढ	25454	100.00
7	छत्तीसगढ़	4844733	100.00
8	दादर एवं नगर हवेली	33324	100.00
9	दमन एवं दीव	1725	100.00
10	गोवा	139713	76.22
11	गुजरात	5085120	100.00
12	हरियाणा	2682750	100.00
13	हिमाचल प्रदेश	1433781	100.00
14	जम्मू एवं कश्मीर	1448584	100.00
15	झारखंड	3993649	100.00
16	कर्नाटक	7026260	100.00
17	केरल	4682727	100.00
18	लक्षद्वीप	10850	100.00
19	मध्य प्रदेश	9059667	100.00
20	महाराष्ट्र	11057231	100.00
21	मणिपुर	442396	100.00
22	मेघालय	442833	100.00
23	मिजोरम	121576	100.00
24	नागालैंड	255609	100.00
25	ओडिशा	6041798	75.71
26	पुडुचेरी	88163	100.00
27	पंजाब	2848262	100.00
28	राजस्थान	10413813	100.00
29	सिक्किम	55364	100.00
30	तमिलनाडु	9372405	100.00
31	तेलंगाना	4013449	94.55
32	त्रिपुरा	623127	96.80
33	उत्तर प्रदेश	24928452	100.00
34	उत्तराखंड	1514719	100.00
35	पश्चिमी बंगाल	13399419	98.65
	कुल	**15,30,50,794**	**97.64**

अनुलग्नक -2

दिनांक 24.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1478 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित विवरण

दिनांक 20.12.2018 तक ओडीएफ ग्रामीण परिवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या और प्रतिशत

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ओडीएफ ग्रामीण परिवारों की संख्या	ओडीएफ ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	37359	100.00
2	आंध्र प्रदेश	7104049	100.00
3	अरुणाचल प्रदेश	184901	100.00
4	असम	5199922	99.21
5	बिहार	14437610	92.13
6	चंडीगढ	25454	100.00
7	छत्तीसगढ़	4844733	100.00
8	दादर एवं नगर हवेली	33324	100.00
9	दमन एवं दीव	1725	100.00
10	गोवा	139713	76.22
11	गुजरात	5085120	100.00
12	हरियाणा	2682750	100.00
13	हिमाचल प्रदेश	1433781	100.00
14	जम्मू एवं कश्मीर	1448584	100.00
15	झारखंड	3993649	100.00
16	कर्नाटक	7026260	100.00
17	केरल	4682727	100.00
18	लक्षद्वीप	10850	100.00
19	मध्य प्रदेश	9059667	100.00
20	महाराष्ट्र	11057231	100.00
21	मणिपुर	442396	100.00
22	मेघालय	442833	100.00
23	मिजोरम	121576	100.00
24	नागालैंड	255609	100.00
25	ओडिशा	6041798	75.71
26	पुडुचेरी	88163	100.00
27	पंजाब	2848262	100.00
28	राजस्थान	10413813	100.00
29	सिक्किम	55364	100.00
30	तमिलनाडु	9372405	100.00
31	तेलंगाना	4013449	94.55
32	त्रिपुरा	623127	96.80
33	उत्तर प्रदेश	24928452	100.00
34	उत्तराखंड	1514719	100.00
35	पश्चिमी बंगाल	13399419	98.65
	कुल	**15,30,50,794**	**97.64**